न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवाँ जिला बून्दी(राज0)

वाद–पत्र संख्या :- 161 / 2020
GCMS NO:- 2020/00379 — दायर दिनांक 02.11.2020
पीठासीन अधिकारी :- श्योराम (आर.ए.एस.)

1. प्रेम बाई बेवा सुखपाल जाति बैरवा निवासी करीरी तहसील नैनवां जिला बून्दी।
2. चन्द्रपाल पुत्र सुखपाल जाति बैरवा निवासी करीरी तहसील नैनवां जिला बून्दी।
3. सीसी पुत्री सुखपाल हाल पत्नी हनुमान जाति बैरवा निवासी देवरी मांकरवाड़ी तहसील उनियारा जिला टोंक।
4. विमला पुत्री सुखपाल हाल पत्नी रामसागर जाति बैरवा निवासी बामनगांव तहसील नैनवां जिला बून्दी।
5. कमर पुत्री सुखपाल जाति बैरवा हाल पत्नी महावीर जाति बैरवा निवासी मालेड़ा तहसील नैनवां जिला बून्दी।

—वादीगण

बनाम

1. नाथूलाल वल्द शोनारायण जाति ब्राह्मण निवासी करवर हाल निवासी बून्दी (लापता लगभग 50 वर्ष से अधिक)
2. भूमिधारी राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तहसील नैनवां जिला बून्दी।
3. श्रीमान जिलाधीश महोदय बून्दी जिला बून्दी।

—प्रतिवादीगण

वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 88,92ए,188 एवं 89 आर.टी एक्ट

उपस्थितिः–

1. वादीगण के अभिभाषक श्री हसन मियां एडवोकेट

निर्णय दिनांक 23.03.2022

संक्षेप में वाद पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम करीरी पटवार हल्का नाहरगंज तहसील नैनवाँ की जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 57 के अनुसार खसरा संख्या 460 रकबा 18 बीघा 11 बिस्वा भूमि स्थित है। उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 नाथूलाल के नाम दर्ज रिकार्ड जमाबंदी है। यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि को करीब 60 वर्ष पूर्व वादी ने भूमि को वादीगण के पूर्वज पांचूलाल बैरवा से प्रेम व स्नेह होने से पांचूलाल बैरवा को यह कहकर संभला दी थी कि यह जमीन आज से तेरी है तू ही इस पर फसल बो व काट । तब से वादी ही उक्त भूमि पर निरन्तर निर्बाध काबिज काश्त चला आ रहा है। भूमि संभलाने के कुछ समय बाद नाथूलाल ने उक्त भूमि को 500 रूपये के प्रतिफल में पांचूलाल को बेचान कर भूमि की असल पास बुक भी नाथूलाल ने पांचूलाल को दे दी थी, लेकिन आपसी प्रेम होने से लिखा पढ़ी नहीं हुई थी। पांचूलाल जीवित रहा तब तक बतौर केता स्वामी खेती करता रहा तथा लगान की अदायगी करता रहा । उसकी मृत्यु के बाद पांचूलाल का पुत्र सुखपाल भूमि पर कृषि काश्त कर लगान की अदायगी करता रहा। सुखपाल की मृत्यु के बाद से वादीगण बदस्तूर काबिज काश्त कर लगान की अदायगी करते चले आ रहे है। उक्त भूमि पर प्रतिवादी नाथूलाल ने कभी काबिज होकर कृषि काश्त नहीं की ओर न कभी नाथूलाल का कब्जा रहा है। प्रतिवादी संख 1 नाथूलाल लगभग 50 वर्षों से लापता है जिसका आज दिन तक कोई पता नहीं है। जिससे यह उपधारणा की जा सकती है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। उक्त भूमि पर [illegible] उसके बाद वादीगण व केता स्वामी के रूप में काबिज होकर फसल बो[illegible] चले आ रहे है। इतने वर्षों में नाथूलाल या उसके परिवार का कोई सदस्य उक्त [illegible] हक का दावा करने नहीं आया है। जिससे वादीगण के [illegible] काश्त कर उपयोग व उपभोग करने से खातेदार बन [illegible] है कि वह उक्त भूमि पर अपने आपको खातेदार घोषित करवाकर उसका [illegible] समस्त राजस्व रिकार्ड में करवा[illegible] वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में शपथ–पत्र, इकरारना[illegible] नकल जमाबन्दी, नक्शा ट्रेस, पंचन[illegible] दिनांक 16.10.2021, असल लगान रशीदें, फोटोप्रति खातेदारी भूमि की पास बुक, समाचार पत्र दैनिक भास्कर में साया दिनांक 08.12.2021 एवं बयानों के शपथ पत्र आदि पेश किये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.04.20 13:38:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

COURT DECISION 2022

Scanned with CamScanner

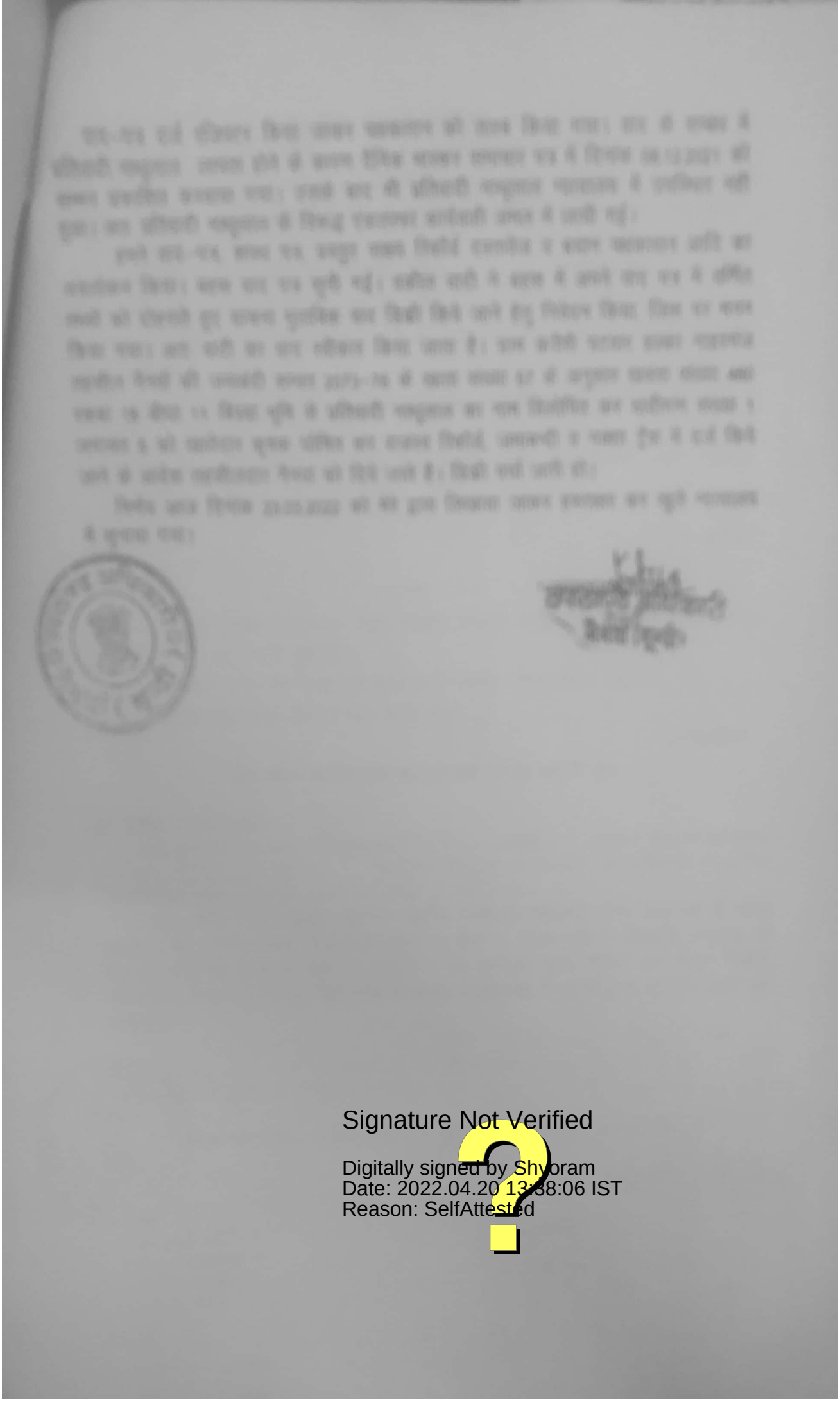

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.04.20 13:38:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner